सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 16/2017 (राजस्व अपील)
RCMS No. 2017/00043

अनवान

1. श्री गणेशलाल पिता रूपलाल कलाल, निवासी तहसील रोड़, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

–प्रार्थी / अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

– विपक्षी / रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री हर्षद जोशी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा, आदेश 14/2016 दिनांक 20.09.2017

* निर्णय *

दिनांक– 23-04-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 20.09.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खेरवाड़ा छावनी, तहसील खेरवाड़ा के हाल आराजी संख्या 555 जिसके साबिक आराजी संख्या 452 हल्के आबादी का है तथा प्रत्यर्थी द्वारा दर्शायी गई हाल आराजी संख्या 869, जिसके साबिक आराजी संख्या 703 चूंकि दोनो आराजी भूमि पास पास होने से मात्र पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है, वह सर्वथा गलत हैं। अपीलार्थी ने अपने स्तर पर अनुभवी विशेषज्ञ सेटलमेंट विभाग से सेवानिवृत्त अमीन से अपनी वास्तविक / तथ्यात्मक स्थिति जानने के लिये रिपोर्ट तैयार करवायी। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने स्तर पर भू प्रबंध विभाग उदयपुर के द्वारा भी वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट साबिक हाल नक्शे बाबत् अधिकारिक रूप से प्राप्त की, जिसमे भी मामला अपीलान्ट के विरूद्ध अतिक्रमण का नहीं बनना पाया गया। जब न्यायालय के समक्ष सारवान नक्शे बाबत् त्रुटि प्रत्यक्ष लाये गये, इसके पश्चात् भी अधिनस्थ न्यायालय ने इन्द्राज दुरस्ती का प्रकरण उपखण्ड़ अधिकारी खेरवाड़ा को प्रस्तुत करने के बजाय अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही करते हुए व अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया। साबिक व हाल नक्शे की इमेज को देखने से यह प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि साबिक मे कम नाले की चौड़ाई को हाल नक्शे मे बढा दिया गया हैं। सेटलमेंट की टीम द्वारा तैयार रिपोर्ट का पैरा संख्या 1 भी कथित त्रुटि को रेखाकिंत करता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिनुकुल न होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये व अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 14/2016 इस न्यायालय को प्रेषित कर अवगत कराया कि राजस्व ग्राम खेरवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2069–72 आ.न. 869 रकबा 1.0400हे. किस्म नाला बिलानाम सरकार दर्ज रेकर्ड है। अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का खेरवाड़ा द्वारा पी–14 मे की गई रिपोर्ट अनुसार आराजी संख्या 869 मे 0.0082 हे. भूमि पर अवैध रूप से पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। बंदोबस्त विभाग की टीम द्वारा भी आराजी संख्या 869 मे वर्तमान रेकर्ड के अनुसार अतिक्रमण की पुष्टि की हैं। बंदोबस्त विभाग की टीम अनुसार आराजी संख्या 703 जिसके हाल आराजी संख्या 869 किस्म नाला मे मकान का पिछला हिस्सा जो पिलरो पर बना हो नाले मे आता है। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाकर अपीलान्ट का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। तहसीलदार से प्रकरण मे पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिन्होने क्रमशः अपने प्रार्थना पत्र व जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमे वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण ग्राम खेरवाड़ा छावनी, तहसील खेरवाड़ा की साबिक आराजी संख्या 703, जिसके हाल आराजी संख्या 869 है किस्म नाला रकबा 1.0400हे. मे से 0.0082हे. पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने से संबंधित है। अपीलान्ट द्वारा हाल आराजी संख्या 869 रकबा 1.0400हे. मे से 0.0082हे. पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का खेरवाड़ा द्वारा प्रस्तुत पी–14 की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट को सुनवाई हेतु अवसर दिये जाने पर अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब मे निर्मित भवन वर्तमान आराजी संख्या 555 किस्म आबादी मे होना बताया। चूंकि वर्तमान आराजी संख्या 869 रकबा 1.0400हे. किस्म नाला व आराजी संख्या 555 किस्म आबादी आपस मे सटे हुए हैं। भू प्रबंध विभाग द्वारा आराजी संख्या 869 की पैमाईश की गई। पैमाईश उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट मे भी अपीलान्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण की पुष्टि होती हैं। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौके के फोटो अनुसार भी तीन भवन जो पीछे का हिस्सा पिलरो पर बना हुआ है, वह साबिक खसरा संख्या 703 नाला व हाल खसरा संख्या 869 नाले मे आता है, जिसमे एक मकान अपीलान्ट का भी हैं। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्राकृतिक बहाव क्षेत्र को अवरोध करने का प्रयास करने व विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करने से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा हाल आराजी संख्या 869 नाले मे 0.0082हे. पर अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जाने से अपीलान्ट को भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया है, जो नियमानुसार पाया जाता हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2017 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार खेरवाड़ा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त नाले पर दुबारा कोई कब्जे का प्रयत्न न करें एवं भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर